न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक/11/ /दिनांक 18-2-2-16 धारा 92

म.प्र. शासन
द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, ... आवेदक

विरुध्द

1. श्रीमति रीताबाई फूलसिंग
   सरपंच .... अनावेदक
2. रमजान तडवी
   तत्कालीन सचिव

   ग्राम पंचायत भावसा

(पारित आदेश दिनांक 8.11.2019)

प्रस्तुत प्रकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा पत्र क्रमांक/672/MGNREGS-MP/शिकायत/2018–19 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा प्रकरण म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार प्रकरण दर्ज किया गया।

श्री कैलाश राजाराम पाटील निवासी ग्राम भावसा के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा कर उनके पत्र क्रमांक/672 दिनांक 11.02.2019 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में

शिकायत में दिनांक 01.12.2016 को महिला सम्मेलन के नाम पर शेख गफफार पिता शेख बिस्मिल्ला जिसके पास स्वयं बस नही है तथा कृषक होकर कृषि कार्य करता है। उसके नाम से 10500 रूप्ये एवं ग्रामोदय अभियान अंतर्गत ईश्वर पिता कौतिक द्वारा बस से परिवहन करना एवं 14000रूप्ये का भुगतान किया जाकर राशि का गबन किया गया–जांच के समय संबंधित उपस्थित नही हुए। दस्तावेजो की जांच की जाकर सरपंच क कथन लिये गये जिससे शेख गफफार व ईश्वर पिता कौतिक को भुगतान करना पाया गया किन्तु उक्त के नाम से वाहन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नही थे। सरपंच के कथनानुसार गफफार मंसूरी एवं ईश्वर कौतिक द्वारा बस किराये से लाकर पंचायत को उपलब्ध करवाई गई थी। जिसकी किराये की राशि संबंधितों के खातो मे जमा करवाई गई।

आरिफ पिता मोती खा को दिनांक 12.11.2017 को 9000 रूप्ये एवं दिनांक 26.10.2017 को 12000 रूप्ये कुल 21000 रूप्ये बिना कार्य के भुगतान कर राशि का गबन किया जाना शिकायत में बताया गया–जांच में श्री आरिफ पिता मोती खां के लिखित कथन लिये गये एवं बिल व्हाउचर की जांच की गई। कथन अनुसार आरिफ मोती खां द्वारा भावसा में सी.सी.रोड संतोष सुखदेव के मकान से जम्बुपानी रोड पर कार्य किया गया था। जिसमें मेशन एवं सेन्ट्रिंग के 21000 रूप्ये खाते में प्राप्त हुए।

शिकायत में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 14.04.2017 डॉ भीमराव अम्बेडकर जयंती, 15 अगस्त 2017 एवं 28 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में फर्जी मस्टर भरकर बिना कार्यो के मस्टर रोल बनाकर पंचायत से संबंधित व्यक्तियों के नाम से मजदूरी की राशि निकालकर पंचायत निधी राशि का गबन किया गया। साथ ही पंचायत क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर के व्यक्तियों को मनरेगा में मस्टर पर कार्यरत दिखाकर संबंधितो के साथ मिली–भगत

कर पंचायत निधी का गबन किया गया। मस्टर की जांच एवं सहायक सचिव के कथन लिये गये जिसमें सहायक सचिव द्वारा 14 अप्रैल 2017,15 अगस्त 2017 एवं 26 जनवरी 2018 करे मजदूरो द्वारा कार्य किया जाना बताया गया। एवं कम मजदूर होने के कारण अन्य पंचायत के मजदूरों को योजनांतर्गत कार्य पर लगाया गया। जिसका भुगतान मुल्यांकन उपरांत खाते के माध्यम से संबंधितो को किया गया।

उपरोक्त प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर बिन्दु क्रं. 2 में आरिफ पिता मोती खां सी.सी.रोड संतोष सुखदेव के मकान से जम्बुपानी रोड पर कार्य किया गया था। जिसमें मेशन एवं सेन्ट्रिंग के 21000 रूप्ये का भुगतान खाते में किया गया। तथा बिन्दु क्रं. 03 में कार्य की मांग होने पर मजदूरों को कार्य दिया जाना परिलक्षित होता है। बिन्दु क्रं. 1 में महिला सम्मेलन एवं ग्रामोदय अभियान अंतर्गत ग्रामीणों को लाने हेतु जिस वाहन का उपयोग किया गया था। उनके क्रमांक एवं वाहन मालिक का नाम संबंधी जानकारी व्हाउचर पर नही पायी गई। जिससे वाहन किराया का भुगतान अमान्य किया जाकर सरपंच/सचिव पर धारा 40 एवं 92 के तहत प्रकरण दर्ज करने

दिनांक 03.01.2018 को श्री आरिफ खा पिता मोती खॉ निवासी बंभाडा जिला बुरहानपुर द्वारा ग्राम पंचायत भावसा में सी.सी. रोड संतोष सुकदेव के मकान से जम्बुपानी रोड पर कार्य किया गया है। जिसमें मेसन, मसीन का भुगतान पंचायत भावसा द्वारा मेरे खाते में किया गया है, जो कि मुझे प्राप्त हुआ। कुल 21000रूप्ये प्रापत हुआ। कथन प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत भावसा द्वारा देयक क्रं. 194 दिनांक 01.12.2016 में गफफार मंसूर को 10500 रूप्ये का भुगतान महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री म.प्र. शासन के महिला सम्मान सम्मेलन फोपनार में महिलाओं को लाने व ले जाने का किराया दिया। देयक पर आवेदक एवं सरपंच के हस्ताक्षर नही। कौन सी बस से महिलाओं को ले गये बस का नाम नंबर व बस का देयक प्रस्तुत नही किया। इसी प्रकार देयक क्रं. 8 दिनांक निल में 14000 रूप्ये का भुगतान श्री ईश्वर कौतिक को ग्राम पंचायत भावसा से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान हेतु धामनगांव का किराया का भुगतान किया गया है। देयक पर आवेदक के हस्ताक्षर सरपंच के हस्ताक्षर नही। ग्राम पंचायत द्वारा किस वाहन से ले गये है। वाहन का नाम वाहन नंबर व किराये संबंधी देयक प्रस्तुत नही किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा बस किराये के देयको का संधारण नही किया गया।

महाजन बस सर्विस बुरहानपुर के श्री विजय महाजन द्वारा लिखित में कथन प्रस्तुत किया कि मेरे पास ग्राम पंचायत भावसा सरपंच/सचिव द्वारा फोन कर बताया गया कि हमें आपकी बस चाहिये। लेकिन मेरे द्वारा मना कर दिया गया। लेकिन मेरे पास श्री गफफार मंसूर द्वारा महिला सम्मेलन हेतु किराये पर बस ले गये और नगद भुगतान भी कर दिया गया जो कि मुझे 10500 रूप्ये नगद श्री गफफार मंसूर द्वारा राशि का भुगतान बस किराये के दिये।

महाजन बस सर्विस बुरहानपुर के श्री विजय महाजन द्वारा लिखित में कथन प्रस्तुत किया कि मेरे पास ग्राम पंचायत भावसा सरपंच/सचिव द्वारा फोन कर बताया गया कि हमें धामनगांव भेजने हेतु आपकी बस चाहिये। लेकिन मेरे द्वारा साफ मना कर दिया गया। लेकिन मेरे पास श्री ईश्वर कौतिक द्वारा मुझसे बस धामनगांव मेले के लिए बस किराये पर ले गये औरण उस बस का किराया श्री ईश्वर कौतिक द्वारा मुझे 14000 रूप्ये नगद भुगतान कर दिया गया ईश्वर कौतिक जो बस ले गये थे उसका भुगतान नगद किया। बस मालिक द्वारा भी अपने कथन में कौन सी बस भेजी गई उसका क्रमांक आदि नही बताया गया।

ग्राम पंचायत भावसा द्वारा दिनांक 27.06.2019 को प्रकरण की सुनवाई के समय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिसमें संयुक्त कलेक्टर जिला बुरहानपुर का पत्र क्रं. 3404/ओडीएफ/2016 बुरहानपुर दि. 25.11.2016 प्रस्तुत किया। जिसके बिन्दु क 3 में उल्लेख है कि 200 महिलाओं को ग्राम पंचायत सम्मेलन में उपस्थित करायेगें। ग्राम पंचायत द्वारा निर्देश का पालन किया गया। परंतु बस किराये के देयक प्राप्त नही किये और भुगतान किया गया। जो मान्य योग्य नही है।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान हेतु धामनगांव मेला में बस किराया का भुगतान किया गया। इस संबंध में कोई अभिलेख निर्देश प्रस्तुत नही किये गये है। ना ही बस किराये के देयक बस क. आदि प्रस्तुत नही किये जाने से उक्त भुगतान मान्य योग्य नही है।

श्री शेख गफुर शेख बिस्मिल्ला, श्री ईश्वर पिता कौतिक को दिप 21.05.2019 को प्रकरण के साक्ष्य हेतु आहुत किया गया परंतु संबंधित साक्ष्य हेतु उपस्थित नही हूए। अनावेदक सरपंच/सचिव को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी बस किराये के संबंध में बस किराये के देयक एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने से बस किराये की राशि 10500 14000 कुल रूप्ये 24500 रूप्ये वसूली योग्य है।

म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 हानि दुरूपयोग के लिए पंचो आदि का दायित्व–(1) पंचायत का प्रत्येक पंच, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी या सेवक के किंसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन के लिए, जिसमें वह एक पक्ष रहा है या जो उसके द्वारा अवचार के या उसके कर्तव्य के प्रति घोर उपेक्षा के कारण हुई है, व्यक्तिगत रूप से दायी होगी। वह रकम, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग की की प्रतिपूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

निष्कर्ष :– प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त कार्य का भुगतान पंच परमेश्वर योजना से किया गया, जो कि अनुमत्य मद में न होने से नियम विरूध्द कार्य की श्रेणी में आने से राशि 24500/– रू. वसूली योग्य है।

सरपंच ग्राम पंचायत भावसा, सचिव ग्राम पंचायत भावसा द्वारा बस किराये की राशि का भुगतान शासन निर्देशानुसार नही किया गया एवं साथ ही अभिलेख का संधारण भी शासन निर्देशानुसार नही किया जाना पाया गया।

ग्राम पंचायत भावसा के विरूध्द प्रचलित प्रकरण में अनावेदक सरपंच सचिव को म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 (1) में दिये गये निर्देशानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया।

ग्राम पंचायत भावसा द्वारा बस किराये की राशि 10500 14000 कुल रूपये 24500 रूपये के देयक प्राप्त किये बिना ही भुगतान किये जाने से उपरोक्त राशि में से श्रीमति रीताबाई फूलसिंह सरपंच ग्राम पंचायत भावसा 12250 रूपये, श्री रमजान तडवी तत्का. सचिव ग्राम पंचायत भावसा 12250 रूपये वसूली योग्य है। वसूली योग्य राशि कार्यालय जनपद पंचायत बुरहानपुर में जमा कराकर जमा रसीद 15 दिवस में प्रस्तुत करें। राशि जमा न कराये जाने पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 (2) के तहत वसूली योग्य राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जावेगी। सरपंच, सचिव द्वारा पंचायत का अभिलेख संधारण में लापरवाही किये जाने से सरपंच/सचिव को भविष्य में कार्य सजगता से करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

(रोहन सक्सेना)
विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

पृ.क्रमांक / 4744 / न्या.जि.पं. / 2019 बुरहानपुर, दिनांक 08.11.2019

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित श्री कैलाश रामाराम पाटिल ग्राम- कावरा ....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
अपर कलेक्टर(विकास) एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

क्रमांक/2512/21
25-11-2019